न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-405RAAJodhpur2022-256RTA225 Laduram Vs Kansingh etc

लादूराम पुत्र श्री दौलाराम, जाति सीरवी, निवासी- बेरा बढेर का उगुनिया, कल्पवृक्ष के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. कानसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
2. गोपालसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
3. परबतसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
4. मंगलसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
   जातियान् राजपुरोहित, निवासीगण- ग्राम जैतीवास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
5. कमलादेवी पत्नी श्री ओमाराम
6. कानाराम पुत्र री ओमाराम
7. पिंटु पुत्री श्री ओमाराम
8. यशोदा पुत्री श्री ओमाराम
9. शोभा पुत्री श्री ओमाराम
10. सुनिल पुत्र श्री ओमाराम
11. प्रेमप्रकाश पुत्र श्री चम्पालाल
12. भंवरलाल पुत्र श्री चम्पालाल
13. मैनादेवी पुत्री श्री चम्पालाल
14. मांगीलाल पुत्र श्री चम्पालाल
15. रमेश पुत्र श्री चम्पालाल
16. श्रवणराम पुत्र श्री चम्पालाल
17. सुगनादेवी पुत्री श्री चम्पालाल
    जातियान सरगरा, निवासीगण- ग्राम जैतीवास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
18. बाबूलाल पुत्र श्री गणेशराम, जाति सरगरा, निवासी- जैतीवास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
19. गणपतराम पुत्र श्री बाबूलाल
20. प्रकाश पुत्र श्री बाबूलाल
21. हुकमाराम पुत्र श्री बाबूलाल

20.9.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी जातियान् सरगरा, निवासीगण- ग्राम जैतीवास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

22. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 22 अगस्त 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2021 लादूराम बनाम कानसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 01 से 09, 13 से 21
श्री नितिन ओझा, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 22
श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 23

नि र्ण य

दिनांक : 28 अगस्त 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2021 लादूराम बनाम कानसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 अगस्त 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 19 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 1318 रकबा 1.6746 हैक्टेयर ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा में आने-जाने हेतु रेस्पो /अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 1319, 1320,

20.8.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1328, 1327 एवं 1324 मे सें प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार ए, बी, सी, डी रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 अगस्त 2022 के जरिये प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के आवागमन हेतु खयरा नं. 1569/1317 की भूमि में सें रास्ता होना बताते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जबकि उक्त खसरा संख्या 1569/1317 की जिस भूमि में वैकल्पिक रास्ता बताया गया है, उक्त भूमि अपीलांट की खरीदसुदा व कब्जाकाश्त सुदा भूमि है, जिसे अपीलांट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 15.03.2013 को विक्रेता अलोलकंवर व हुकमसिंह से खरीद की तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समय उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी में दर्ज नहीं थी, जिसके संबंध में स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि ' उक्त भूमि के मूल खसरा नं. 1317 रकबा 19.10 बीघा था, जिसके वर्तमान खसरा नं. 1568/1317 रकबा 0.7847 हैक्टेयर, खसरा नं. 1569/1317 रकबा 0.7928 हैक्टेयर, खसरा नं. 1570/1317 रकबा 1.5776 हैक्टेयर है। खसरा नं. 1317 की संपूर्ण भूमि में विक्रेतागण अलोककंवर पत्नी हुकमसिंह व हुकमसिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति राजपूत द्वारा अपना दर्ज 53/96 वा हिस्सा था, जिसे जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 25.03.2013 को अपीलांट को बेचान कर दिया, जिसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड में होकर जमाबंदी संवतः 2065-2068 में किया गया। उक्त खसरा के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 19/2008 प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपीलांट को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया, जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील

20.8.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत की गई जो स्वीकार की गई तथा खसरा नं. 1317 रकबा 19.10 बीघा में अपीलांट 53/96 वे हिस्से के संबंध में वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाकर पूर्व स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये गये। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अपीलांट नामांतरकरण प्रक्रियाधीन रहते अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस कारण अपीलांट द्वारा उक्त भूमि प्रार्थना पत्र में सम्मिलित नहीं की गई। भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मुताबिक खसरा नं. 1569/1317 की भूमि के पश्चात अन्य तहसील/जिले की सीमा खत्म हो जाती है, जिसे स्वयं विचारण न्यायालय ने भी माना है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट के उक्त खसरे की सीमा किसी कटाणी रास्ते से जाकर नहीं मिलती है। मौका फर्द में भी अपीलांट के खातेदारी खेत के लिए कटाणी रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं होना बताया गया है तथा वांछित रास्ता ही राजस्व ग्राम जैतीवास की राजस्व सीमा में स्थिति कटाणी रास्ता के निकटतम लगता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2021 लादूराम बनाम कानसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 अगस्त 2022 को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट के आवागमन हेतु रेस्पोडेंट संख्या एक से इक्कीस की खातेदारी

29-8-2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि खसरा नं. 1319, 1320, 1328, 1327, 1324 में से वांछित रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. को राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ता का नामांतरकरण स्वीकृत करने का व राजस्व रेकर्ड नक्शा में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा नं. 1318 में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौके पर खसरा नं. 1579/1317 में से होकर मौजूद है। इसलिए अन्य अन्य रास्ते की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट्स द्वारा चाहा गया रास्ता अधिक लंबा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 24.11.2021 एवं तहसीलदार बिलाड़ा के पत्र क्रमांकः रीडर/राजस्व/251-ए/रास्ता/2021/2088 दिनांक 30.11.2021 के अवलोकन मुताबिक अपीलांट के खातेदारी खसरा नं. 1318 मे आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 1569/1317 में से होकर मौजूद बताया गया है जो आगे जाकर ग्राम मेव तहसील सोजत जिला पाली की सीमा तक जाता है एवं वहॉ से आगे ग्राम मेव की राजस्व सीमा में होकर आगे उसी गांव के कटाणी रास्ते से मिलना बताया है। खसरा नं. 1569/1317 अपीलांट की खातेदारी का ही खरीदसुदा खसरा है।

24.8.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौका फर्द में अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू अथवा पगडंडी के रूप में भी चालू होना नहीं बताया गया है तथा न ही अपीलांट का पूर्व में उक्त विकल्प पर आवागमन बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के आवागमन हेतु वर्तमान में मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से नवीन रास्ते का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2021 लादूराम बनाम कानसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 अगस्त 2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.9.23

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर